

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क./4/शिका./सेल-5/बैतूल/एफ-66/2015/2280
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27.08.15

✓ डॉ.श्वेता सालम,
चिकित्सा अधिकारी,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोड़ाडोंगरी
जिला बैतूल म.प्र.।

विषय:-डॉ.श्वेता सालम, चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वा.केन्द्र घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल को
समझाईश देने बाबत।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा डॉ.व्ही.एन.झरबड़े, खंड चिकित्सा अधिकारी, घोड़ाडोंगरी, जिला-बैतूल एवं डॉ.एस.एस.वास्कले, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-बैतूल के विरुद्ध आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, अनावश्यक तंग करने के संबंध में मानव अधिकार आयोग को शिकायत की गई थी। प्राप्त शिकायत की जाँच संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल से करवाई गई थी।

संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत डॉ. झरबड़े, खंड चिकित्सा अधिकारी, घोड़ाडोंगरी, जिला-बैतूल की पदस्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुलताई किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है तथा डॉ. एस.एस.वास्कले, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-बैतूल वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अतः उक्त संबंध में आपको भविष्य के लिये समझाईश दी जाती है कि आप अवकाश की अनुमति लिये बिना अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित न हों एवं अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होकर नियमित ड्यूटी संपादित करें। यदि आपके द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर रहने संबंधी घटना की पुनरावृत्ति की जाती है तो आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

“स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित”

(शैलबाला मार्टिन)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

.....2

//2//

पृ.क./4/शिका./सेल-5/बैतूल/एफ-66/2015/

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय।
3. कलेक्टर जिला भोपाल।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बैतूल, मध्यप्रदेश।
6. रजिस्ट्रार लॉ, म.प्र. मानव अधिकार आयोग पर्यावास भवन खंड 1 अरेरा हिल्स भोपाल।
7. उपसंचालक आयोग स्थानीय कार्यालय।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र./4/शिका./सेल-7/विदिशा/ 2015/1063

भोपाल, दिनांक 22.04.15

प्रति,

डॉ.प्रमोद कुमार चतुर्वेदी,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-विदिशा (मध्यप्रदेश)।

द्वारा:-संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल म.प्र।

विषय:-कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने पर समझाईशी पत्र।

—00—

यह कि आप डॉ.प्रमोद कुमार चतुर्वेदी, जिला विदिशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ हैं।

यह कि संचालनालय के असंचारी शाखा के पत्र क्रमांक 862 दिनांक 08.12.2014 के द्वारा आपको राष्ट्रीय केंसर, मधुमेह, हृदयरोग और स्ट्रोक निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के संबंध में नोडल अधिकारी नामांकित कर उनके नाम, पद एवं मोबाईल नम्बर आदि से अवगत कराते हुये दिनांक 16.12.14 को आयोजित बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था।

संचालनालय द्वारा दिये निर्देशों के पालन में आपको द्वारा नोडल अधिकारी को नामांकित कर दिनांक 06.12.14 को बैठक में नहीं भेजा गया और ना ही कोई सूचना लिखित में भेजी गई। आपके द्वारा ऐसे करते हुये वरिष्ठ कार्यालय से जारी निर्देशों की अवहेलना की गई।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में एतद् समझाईश देते हुये निर्देशित किया जाता है कि आप भविष्य के लिये सजग रहकर पूर्ण कर्त्तव्य निष्ठा के साथ आदेशों/निर्देशों का पालन करते हुये कार्य संपादित करें एवं अपने अधीनस्थ अमले को भी इस संबंध में पांबद करें अन्यथा आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

"स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित"

16/4/15
(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश
.....2.....

//2//

पृ.क्र./4/शिका./सेल-7/विदिशा/2015/

भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर जिला, विदिशा म0प्र0 ।
4. संचालक असंचारी शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में उनकी टीप दिनांक 16.12.2014 के संदर्भ में प्रेषित है ।:
5. उपसंचालक असंचारी शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
6. उपसंचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल, स्थानीय कार्यालय ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी पत्र की प्रविष्टी संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की सेवापुस्तिका में दर्ज कर दर्ज प्रविष्टी की छायाप्रति से संचालनालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी समझाईश पत्र विभाग की वेब साइट पर अपलोड करावें ।
9. आदेश नस्ती ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र./4/शिका./सेल-7/हरदा/ 2015/ 1061
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22.04.15-

डॉ.मनीष शर्मा,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-हरदा (मध्यप्रदेश)।

द्वारा:-संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें भोपाल संभाग भोपाल म.प्र।
विषय:-कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने पर समझाईशी पत्र।

—00—


यह कि आप डॉ.मनीष शर्मा, जिला हरदा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ हैं।

यह कि संचालनालय के असंचारी शाखा के पत्र क्रमांक 862 दिनांक 08.12.2014 के द्वारा आपको राष्ट्रीय केंसर, मधुमेह, हृदयरोग और स्ट्रोक निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के संबंध में नोडल अधिकारी नामांकित कर उनके नाम, पद एवं मोबाईल नम्बर आदि से अवगत कराते हुये दिनांक 16.12.14 को आयोजित बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था।

संचालनालय द्वारा दिये निर्देशों के पालन में आपको द्वारा नोडल अधिकारी को नामांकित कर दिनांक 06.12.14 को बैठक में नहीं भेजा गया और ना ही कोई सूचना लिखित में भेजी गई। आपके द्वारा ऐसे करते हुये वरिष्ठ कार्यालय से जारी निर्देशों की अवहेलना की गई।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में एतद् समझाईश देते हुये निर्देशित किया जाता है कि आप भविष्य के लिये सजग रहकर पूर्ण कर्त्तव्य निष्ठा के साथ आदेशों/निर्देशों का पालन करते हुये कार्य संपादित करें एवं अपने अधीनस्थ अमले को भी इस संबंध में पाबंद करें अन्यथा आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

“स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित”


(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश
.....2.....

पृ.क्र./4/शिका./सेल-7/हरदा/2015/

भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर जिला, ~~भोपाल~~ म0प्र0 ।
4. संचालक असंचारी शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में उनकी टीप दिनांक 16.12.2014 के संदर्भ में प्रेषित है ।
5. उपसंचालक असंचारी शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
6. उपसंचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल, स्थानीय कार्यालय ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी पत्र की प्रविष्टी संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की सेवापुस्तिका में दर्ज कर दर्ज प्रविष्टी की छायाप्रति से संचालनालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी समझाईश पत्र विभाग की वेब साइट पर अपलोड करावें ।
9. आदेश नस्ती ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र./4/शिका./सेल-7/जबलपुर/ 2015/ 1059

भोपाल, दिनांक 22.04.15

प्रति,

डॉ.भारत सिंह चौहान,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-जबलपुर (मध्यप्रदेश)।

द्वारा:-संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र।
विषय:-कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने पर समझाईशी पत्र।

—00—

यह कि आप डॉ.भारत सिंह चौहान, जिला जबलपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ हैं।

यह कि संचालनालय के असंचारी शाखा के पत्र क्रमांक 862 दिनांक 08.12.2014 के द्वारा आपको राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयरोग और स्ट्रोक निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के संबंध में नोडल अधिकारी नामांकित कर उनके नाम, पद एवं मोबाईल नम्बर आदि से अवगत कराते हुये दिनांक 16.12.14 को आयोजित बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था।

संचालनालय द्वारा दिये निर्देशों के पालन में आपको द्वारा नोडल अधिकारी को नामांकित कर दिनांक 06.12.14 को बैठक में नहीं भेजा गया और ना ही कोई सूचना लिखित में भेजी गई। आपके द्वारा ऐसे करते हुये वरिष्ठ कार्यालय से जारी निर्देशों की अवहेलना की गई।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, एतद् समझाईश देते हुये निर्देशित किया जाता है कि आप भविष्य के लिये सजग रहकर पूर्ण कर्त्तव्य निष्ठा के साथ आदेशों/निर्देशों का पालन करते हुये कार्य संपादित करें एवं अपने अधीनस्थ अमले को भी इस संबंध में पांबद करें अन्यथा आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

“स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित”

(शैलबाला मार्टिन)

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

.....2.....

पृ.क्र./4/शिका./सेल-7/जबलपुर/2015/

भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर जिला, जबलपुर म0प्र0 ।
4. संचालक असंचारी शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में उनकी टीप दिनांक 16.12.2014 के संदर्भ में प्रेषित है ।
5. उपसंचालक असंचारी शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
6. उपसंचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल, स्थानीय कार्यालय ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र. की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी पत्र की प्रविष्टी संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की सेवापुस्तिका में दर्ज कर दर्ज प्रविष्टी की छायाप्रति से संचालनालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी समझाईश पत्र विभाग की वेब साइट पर अपलोड करावें ।
9. आदेश नस्ती ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र./4/शिका./सेल-7/मंदसौर/ 2015/1057

भोपाल, दिनांक 22-04-15

प्रति,

डॉ.प्रदीप शर्मा,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-मंदसौर (मध्यप्रदेश)।

द्वारा:-संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र।

विषय:-कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने पर समझाईशी पत्र।

—00—


यह कि आप डॉ.प्रदीप शर्मा, जिला मंदसौर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ हैं।

यह कि संचालनालय के असंचारी शाखा के पत्र क्रमांक 862 दिनांक 08.12.2014 के द्वारा आपको राष्ट्रीय केंसर, मधुमेह, हृदयरोग और स्ट्रोक निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के संबंध में नोडल अधिकारी नामांकित कर उनके नाम, पद एवं मोबाईल नम्बर आदि से अवगत कराते हुये दिनांक 16.12.14 को आयोजित बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था।

संचालनालय द्वारा दिये निर्देशों के पालन में आपको द्वारा नोडल अधिकारी को नामांकित कर दिनांक 06.12.14 को बैठक में नहीं भेजा गया और ना ही कोई सूचना लिखित में भेजी गई। आपके द्वारा ऐसे करते हुये वरिष्ठ कार्यालय से जारी निर्देशों की अवहेलना की गई।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में एतद् समझाईश देते हुये निर्देशित किया जाता है कि आप भविष्य के लिये सजग रहकर पूर्ण कर्त्तव्य निष्ठा के साथ आदेशों/निर्देशों का पालन करते हुये कार्य संपादित करें एवं अपने अधीनस्थ अमले को भी इस संबंध में पांबद करें अन्यथा आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

"स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित"


(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश
.....2.....

//2//

पृ.क्र./4/शिका./सेल-7/मंदसौर/2015/

भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर जिला, मंदसौर म0प्र0 ।
4. संचालक असंचारी शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में उनकी टीप दिनांक 16.12.2014 के संदर्भ में प्रेषित है ।
5. उपसंचालक असंचारी शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
6. उपसंचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल, स्थानीय कार्यालय ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र. की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी पत्र की प्रविष्टी संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की सेवापुस्तिका में दर्ज कर दर्ज प्रविष्टी की छायाप्रति से संचालनालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी समझाईश पत्र विभाग की वेब साइट पर अपलोड करावें ।
9. आदेश नस्ती ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र./4/शिका./सेल-7/रीवा/ 2015/1055
प्रति

भोपाल, दिनांक 22.04.15

डॉ.सुधीर जैसानी,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-रीवा (मध्यप्रदेश)।

द्वारा:-संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग रीवा म.प्र।
विषय:-कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने पर समझाईशी पत्र।

—00—

यह कि आप डॉ.सुधीर जैसानी, जिला रीवा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ हैं।

यह कि संचालनालय के असंचारी शाखा के पत्र क्रमांक 862 दिनांक 08.12.2014 के द्वारा आपको राष्ट्रीय केंसर, मधुमेह, हृदयरोग और स्ट्रोक निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के संबंध में नोडल अधिकारी नामांकित कर उनके नाम, पद एवं मोबाईल नम्बर आदि से अवगत कराते हुये दिनांक 16.12.14 को आयोजित बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था।

संचालनालय द्वारा दिये निर्देशों के पालन में आपको द्वारा नोडल अधिकारी को नामांकित कर दिनांक 06.12.14 को बैठक में नहीं भेजा गया और ना ही कोई सूचना लिखित में भेजी गई। आपके द्वारा ऐसे करते हुये वरिष्ठ कार्यालय से जारी निर्देशों की अवहेलना की गई।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में एतद् समझाईश देते हुये निर्देशित किया जाता है कि आप भविष्य के लिये सजग रहकर पूर्ण कर्त्तव्य निष्ठा के साथ आदेशों/निर्देशों का पालन करते हुये कार्य संपादित करें एवं अपने अधीनस्थ अमले को भी इस संबंध में पांबद करें अन्यथा आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

“स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित”

16/12/15

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

.....2.....

//2//

पृ.क्र./4/शिका./सेल-7/रीवा/2015/

भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर जिला, रीवा म0प्र0 ।
4. संचालक असंचारी शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में उनकी टीप दिनांक 16.12.2014 के संदर्भ में प्रेषित है ।
5. उपसंचालक असंचारी शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
6. उपसंचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल, स्थानीय कार्यालय ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग रीवा म.प्र. की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी पत्र की प्रविष्टी संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की सेवापुस्तिका में दर्ज कर दर्ज प्रविष्टी की छायाप्रति से संचालनालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी समझाईश पत्र विभाग की वेब साइट पर अपलोड करावें ।
9. आदेश नस्ती ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र./4/शिका./सेल-7/सागर/ 2015/ 1053
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22.04.15

डॉ.रमेश चंद जैन,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-सागर (मध्यप्रदेश)।

द्वारा:-संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें सागर संभाग सागर म.प्र।
विषय:-कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने पर समझाईशी पत्र।

—00—


यह कि आप डॉ.रमेश चंद जैन, जिला सागर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ हैं।

यह कि संचालनालय के असंचारी शाखा के पत्र क्रमांक 862 दिनांक 08.12.2014 के द्वारा आपको राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयरोग और स्ट्रोक निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के संबंध में नोडल अधिकारी नामांकित कर उनके नाम, पद एवं मोबाईल नम्बर आदि से अवगत कराते हुये दिनांक 16.12.14 को आयोजित बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था।

संचालनालय द्वारा दिये निर्देशों के पालन में आपको द्वारा नोडल अधिकारी को नामांकित कर दिनांक 06.12.14 को बैठक में नहीं भेजा गया और ना ही कोई सूचना लिखित में भेजी गई। आपके द्वारा ऐसे करते हुये वरिष्ठ कार्यालय से जारी निर्देशों की अवहेलना की गई।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में एतद् समझाईश देते हुये निर्देशित किया जाता है कि आप भविष्य के लिये सजग रहकर पूर्ण कर्त्तव्य निष्ठा के साथ आदेशों/निर्देशों का पालन करते हुये कार्य संपादित करें एवं अपने अधीनस्थ अमले को भी इस संबंध में पांबद करें अन्यथा आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

“स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित”


(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

.....2.....

//2//

पृ.क्र./4/शिका./सेल-7/सागर/2015/

भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर जिला, सागर म0प्र0 ।
4. संचालक असंचारी शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में उनकी टीप दिनांक 16.12.2014 के संदर्भ में प्रेषित है ।
5. उपसंचालक असंचारी शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
6. उपसंचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल, स्थानीय कार्यालय ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग सागर म.प्र. की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी पत्र की प्रविष्टी संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की सेवापुस्तिका में दर्ज कर दर्ज प्रविष्टी की छायाप्रति से संचालनालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी समझाईश पत्र विभाग की वेब साइट पर अपलोड करावें ।
9. आदेश नस्ती ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र./4/शिका./सेल-7/सिवनी/ 2015/105/
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22.04.15

डॉ.राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-सिवनी (मध्यप्रदेश)।

द्वारा:-संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र।
विषय:-कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने पर समझाईशी पत्र।

—00—

यह कि आप डॉ.राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जिला सिवनी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ हैं।

यह कि संचालनालय के असंचारी शाखा के पत्र क्रमांक 862 दिनांक 08.12.2014 के द्वारा आपको राष्ट्रीय केंसर, मधुमेह, हृदयरोग और स्ट्रोक निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के संबंध में नोडल अधिकारी नामांकित कर उनके नाम, पद एवं मोबाईल नम्बर आदि से अवगत कराते हुये दिनांक 16.12.14 को आयोजित बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था।

संचालनालय द्वारा दिये निर्देशों के पालन में आपको द्वारा नोडल अधिकारी को नामांकित कर दिनांक 06.12.14 को बैठक में नहीं भेजा गया और ना ही कोई सूचना लिखित में भेजी गई। आपके द्वारा ऐसे करते हुये वरिष्ठ कार्यालय से जारी निर्देशों की अवहेलना की गई।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में एतद् समझाईश देते हुये निर्देशित किया जाता है कि आप भविष्य के लिये सजग रहकर पूर्ण कर्त्तव्य निष्ठा के साथ आदेशों/निर्देशों का पालन करते हुये कार्य संपादित करें एवं अपने अधीनस्थ अमले को भी इस संबंध में पांबद करें अन्यथा आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

“स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित”

16/4/15

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश
.....2.....

//2//

पृ.क्र./4/शिका./सेल-7/सिवनी/2015/

भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर जिला, सिवनी म0प्र0 ।
4. संचालक असंचारी शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में उनकी टीप दिनांक 16.12.2014 के संदर्भ में प्रेषित है ।
5. उपसंचालक असंचारी शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
6. उपसंचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल, स्थानीय कार्यालय ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र. की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी पत्र की प्रविष्टी संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की सेवापुस्तिका में दर्ज कर दर्ज प्रविष्टी की छायाप्रति से संचालनालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी समझाईश पत्र विभाग की वेब साइट पर अपलोड करावें ।
9. आदेश नस्ती ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र./4/शिका./सेल-7/शाजापुर/ 2015/ 1049
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22.04.15

डॉ.अनुसुइया गवली,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-शाजापुर (मध्यप्रदेश)।

द्वारा:-संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र।

विषय:-कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने पर समझाईशी पत्र।

—00—

यह कि आप डॉ.अनुसुइया गवली, जिला शाजापुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ हैं।

यह कि संचालनालय के असंचारी शाखा के पत्र क्रमांक 862 दिनांक 08.12.2014 के द्वारा आपको राष्ट्रीय केंसर, मधुमेह, हृदयरोग और स्ट्रोक निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के संबंध में नोडल अधिकारी नामांकित कर उनके नाम, पद एवं मोबाईल नम्बर आदि से अवगत कराते हुये दिनांक 16.12.14 को आयोजित बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था।

संचालनालय द्वारा दिये निर्देशों के पालन में आपको द्वारा नोडल अधिकारी को नामांकित कर दिनांक 06.12.14 को बैठक में नहीं भेजा गया और ना ही कोई सूचना लिखित में भेजी गई। आपके द्वारा ऐसे करते हुये वरिष्ठ कार्यालय से जारी निर्देशों की अवहेलना की गई।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में एतद् समझाईश देते हुये निर्देशित किया जाता है कि आप भविष्य के लिये सजग रहकर पूर्ण कर्त्तव्य निष्ठा के साथ आदेशों/निर्देशों का पालन करते हुये कार्य संपादित करें एवं अपने अधीनस्थ अमले को भी इस संबंध में पांबद करें अन्यथा आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

“स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित”

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश
.....2.....

//2//

पृ.क्र./4/शिका./सेल-7/शाजापुर/2015/

भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर जिला, शाजापुर म0प्र0 ।
4. संचालक असंचारी शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में उनकी टीप दिनांक 16.12.2014 के संदर्भ में प्रेषित है ।
5. उपसंचालक असंचारी शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
6. उपसंचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल, स्थानीय कार्यालय ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र. की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी पत्र की प्रविष्टी संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की सेवापुस्तिका में दर्ज कर दर्ज प्रविष्टी की छायाप्रति से संचालनालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी समझाईश पत्र विभाग की वेब साइट पर अपलोड करावें ।
9. आदेश नस्ती ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र./4/शिका./सेल-7/सीधी/ 2015/1047
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22.04.15

डॉ.कृष्णा केशव शुक्ला,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-सीधी (मध्यप्रदेश)।

द्वारा:-संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें रीवा संभाग रीवा म.प्र।
विषय:-कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने पर समझाईशी पत्र।

—00—


यह कि आप डॉ.कृष्णा केशव शुक्ला, जिला सीधी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
के महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ हैं।

यह कि संचालनालय के असंचारी शाखा के पत्र क्रमांक 862 दिनांक 08.12.2014 के द्वारा
आपको राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयरोग और स्ट्रोक निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत
विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के संबंध में नोडल अधिकारी नामांकित कर उनके नाम, पद एवं
मोबाईल नम्बर आदि से अवगत कराते हुये दिनांक 16.12.14 को आयोजित बैठक में उपस्थित
होने हेतु निर्देशित किया गया था।

संचालनालय द्वारा दिये निर्देशों के पालन में आपको द्वारा नोडल अधिकारी को नामांकित
कर दिनांक 06.12.14 को बैठक में नहीं भेजा गया और ना ही कोई सूचना लिखित में भेजी गई।
आपके द्वारा ऐसे करते हुये वरिष्ठ कार्यालय से जारी निर्देशों की अवहेलना की गई।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में एतद् समझाईश देते हुये निर्देशित किया जाता है कि आप
भविष्य के लिये सजग रहकर पूर्ण कर्त्तव्य निष्ठा के साथ आदेशों/निर्देशों का पालन करते हुये
कार्य संपादित करें एवं अपने अधीनस्थ अमले को भी इस संबंध में पांबद करें अन्यथा आपके विरुद्ध
मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

“स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित”


(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश
.....2.....

//2//

पृ.क्र./4/शिका./सेल-7/सीधी/2015/

भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर जिला, सीधी म0प्र0 ।
4. संचालक असंचारी शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में उनकी टीप दिनांक 16.12.2014 के संदर्भ में प्रेषित है ।
5. उपसंचालक असंचारी शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
6. उपसंचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल, स्थानीय कार्यालय ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग रीवा म.प्र. की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी पत्र की प्रविष्टी संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की सेवापुस्तिका में दर्ज कर दर्ज प्रविष्टी की छायाप्रति से संचालनालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी समझाईश पत्र विभाग की वेब साइट पर अपलोड करावें।
9. आदेश नस्ती ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र./4/शिका./सेल-7/उज्जैन/ 2015/1045
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22.04.15

डॉ.अशोक कुमार यादव,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-उज्जैन (मध्यप्रदेश)।

द्वारा:-संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र।
विषय:-कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने पर समझाईशी पत्र।

—00—


यह कि आप डॉ.अशोक कुमार यादव, जिला उज्जैन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ हैं।

यह कि संचालनालय के असंचारी शाखा के पत्र क्रमांक 862 दिनांक 08.12.2014 के द्वारा आपको राष्ट्रीय केंसर, मधुमेह, हृदयरोग और स्ट्रोक निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के संबंध में नोडल अधिकारी नामांकित कर उनके नाम, पद एवं मोबाईल नम्बर आदि से अवगत कराते हुये दिनांक 16.12.14 को आयोजित बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था।

संचालनालय द्वारा दिये निर्देशों के पालन में आपको द्वारा नोडल अधिकारी को नामांकित कर दिनांक 06.12.14 को बैठक में नहीं भेजा गया और ना ही कोई सूचना लिखित में भेजी गई। आपके द्वारा ऐसे करते हुये वरिष्ठ कार्यालय से जारी निर्देशों की अवहेलना की गई।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में एतद् समझाईश देते हुये निर्देशित किया जाता है कि आप भविष्य के लिये सजग रहकर पूर्ण कर्त्तव्य निष्ठा के साथ आदेशों/निर्देशों का पालन करते हुये कार्य संपादित करें एवं अपने अधीनस्थ अमले को भी इस संबंध में पांबद करें अन्यथा आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

“स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित”


(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश
.....2.....

//2//

पृ.क्र./4/शिका./सेल-7/उज्जैन/2015/

भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर जिला, उज्जैन म0प्र0 ।
4. संचालक असंचारी शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में उनकी टीप दिनांक 16.12.2014 के संदर्भ में प्रेषित है ।
5. उपसंचालक असंचारी शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
6. उपसंचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल, स्थानीय कार्यालय ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र. की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी पत्र की प्रविष्टी संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की सेवापुस्तिका में दर्ज कर दर्ज प्रविष्टी की छायाप्रति से संचालनालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी समझाईश पत्र विभाग की वेब साइट पर अपलोड करावें ।
9. आदेश नस्ती ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये
मध्य प्रदेश

क्र./4/शिका./सेल-7/भोपाल/ 2015/ 1043
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22-04-15

डॉ.पंकज शुक्ला,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-भोपाल (मध्यप्रदेश)।

द्वारा:-संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये भोपाल संभाग भोपाल म.प्र।
विषय:-कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने पर समझाईशी पत्र।

--00--


यह कि आप डॉ.पंकज शुक्ला, जिला भोपाल में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ हैं।

यह कि संचालनालय के असंचारी शाखा के पत्र क्रमांक 862 दिनांक 08.12.2014 के द्वारा आपको राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयरोग और स्ट्रोक निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के संबंध में नोडल अधिकारी नामांकित कर उनके नाम, पद एवं मोबाईल नम्बर आदि से अवगत कराते हुये दिनांक 16.12.14 को आयोजित बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था।

संचालनालय द्वारा दिये निर्देशों के पालन में आपको द्वारा नोडल अधिकारी को नामांकित कर दिनांक 06.12.14 को बैठक में नहीं भेजा गया और ना ही कोई सूचना लिखित में भेजी गई। आपके द्वारा ऐसे करते हुये वरिष्ठ कार्यालय से जारी निर्देशों की अवहेलना की गई।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में एतद् समझाईश देते हुये निर्देशित किया जाता है कि आप भविष्य के लिये सजग रहकर पूर्ण कर्त्तव्य निष्ठा के साथ आदेशों/निर्देशों का पालन करते हुये कार्य संपादित करें एवं अपने अधीनस्थ अमले को भी इस संबंध में पांबद करें अन्यथा आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

“स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित”


(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये,
मध्यप्रदेश
.....2.....

पृ.क्र./4/शिका./सेल-7/भोपाल/ 2015/

भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर जिला, भोपाल म0प्र0 ।
4. संचालक असंचारी शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में उनकी टीप दिनांक 16.12.2014 के संदर्भ में प्रेषित है ।
5. उपसंचालक असंचारी शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
6. उपसंचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल, स्थानीय कार्यालय ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल म.प्र. की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी पत्र की प्रविष्टी संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की सेवापुस्तिका में दर्ज कर दर्ज प्रविष्टी की छायाप्रति से संचालनालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी समझाईश पत्र विभाग की वेब साइट पर अपलोड करावें ।
9. आदेश नस्ती ।

/

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र./4/शिका./सेल-7/दमोह/ 2015/1022
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22.04.15

डॉ.ओम प्रकाश गौतम,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-दमोह (मध्यप्रदेश)।

द्वारा:-संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें सागर संभाग सागर म.प्र।
विषय:-कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने पर समझाईशी पत्र।

—00—


यह कि आप डॉ.ओम प्रकाश गौतम, जिला दमोह में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ हैं।

यह कि संचालनालय के असंचारी शाखा के पत्र क्रमांक 862 दिनांक 08.12.2014 के द्वारा आपको राष्ट्रीय केंसर, मधुमेह, हृदयरोग और स्ट्रोक निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के संबंध में नोडल अधिकारी नामांकित कर उनके नाम, पद एवं मोबाईल नम्बर आदि से अवगत कराते हुये दिनांक 16.12.14 को आयोजित बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था।

संचालनालय द्वारा दिये निर्देशों के पालन में आपको द्वारा नोडल अधिकारी को नामांकित कर दिनांक 06.12.14 को बैठक में नहीं भेजा गया और ना ही कोई सूचना लिखित में भेजी गई। आपके द्वारा ऐसे करते हुये वरिष्ठ कार्यालय से जारी निर्देशों की अवहेलना की गई।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में एतद् समझाईश देते हुये निर्देशित किया जाता है कि आप भविष्य के लिये सजग रहकर पूर्ण कर्त्तव्य निष्ठा के साथ आदेशों/निर्देशों का पालन करते हुये कार्य संपादित करें एवं अपने अधीनस्थ अमले को भी इस संबंध में पांबद करें अन्यथा आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

“स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित”


16/12/15

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश
.....2.....

//2//

पृ.क्र./4/शिका./सेल-7/दमोह/2015/

भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर जिला, दमोह म0प्र0 ।
4. संचालक असंचारी शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में उनकी टीप दिनांक 16.12.2014 के संदर्भ में प्रेषित है ।
5. उपसंचालक असंचारी शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
6. उपसंचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल, स्थानीय कार्यालय ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग सागर म.प्र. की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी पत्र की प्रविष्टी संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की सेवापुस्तिका में दर्ज कर दर्ज प्रविष्टी की छायाप्रति से संचालनालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी समझाईश पत्र विभाग की वेब साइट पर अपलोड करावें ।
9. आदेश नस्ती ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र./4/शिका./सेल-7/दतिया/ 2015/1020
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22.04.15

डॉ.राधे श्याम गुप्ता,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-दतिया (मध्यप्रदेश)।

द्वारा:-संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र।
विषय:-कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने पर समझाईशी पत्र।


—00—

यह कि आप डॉ.राधे श्याम गुप्ता, जिला दतिया में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ हैं।

यह कि संचालनालय के असंचारी शाखा के पत्र क्रमांक 862 दिनांक 08.12.2014 के द्वारा आपको राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयरोग और स्ट्रोक निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के संबंध में नोडल अधिकारी नामांकित कर उनके नाम, पद एवं मोबाईल नम्बर आदि से अवगत कराते हुये दिनांक 16.12.14 को आयोजित बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था।

संचालनालय द्वारा दिये निर्देशों के पालन में आपको द्वारा नोडल अधिकारी को नामांकित कर दिनांक 06.12.14 को बैठक में नहीं भेजा गया और ना ही कोई सूचना लिखित में भेजी गई। आपके द्वारा ऐसे करते हुये वरिष्ठ कार्यालय से जारी निर्देशों की अवहेलना की गई।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में एतद् समझाईश देते हुये निर्देशित किया जाता है कि आप भविष्य के लिये सजग रहकर पूर्ण कर्त्तव्य निष्ठा के साथ आदेशों/निर्देशों का पालन करते हुये कार्य संपादित करें एवं अपने अधीनस्थ अमले को भी इस संबंध में पांबद करें अन्यथा आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
"स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित"


(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश
.....2.....

//2//

पृ.क्र./4/शिका./सेल-7/दतिया/2015/

भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर जिला, दतिया म0प्र0 ।
4. संचालक असंचारी शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में उनकी टीप दिनांक 16.12.2014 के संदर्भ में प्रेषित है ।
5. उपसंचालक असंचारी शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित ।
6. उपसंचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल, स्थानीय कार्यालय ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र. की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी पत्र की प्रविष्टी संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की सेवापुस्तिका में दर्ज कर दर्ज प्रविष्टी की छायाप्रति से संचालनालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी समझाईश पत्र विभाग की वेब साइट पर अपलोड करावें।
9. आदेश नस्ती ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र./4/शिका./सेल-7/ग्वालियर/ 2015/1018
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22-04-15

डॉ.अनूप कुमार कामठान,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-ग्वालियर (मध्यप्रदेश)।

द्वारा:-संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र।
विषय:-कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने पर समझाईशी पत्र।

—00—


यह कि आप डॉ.अनूप कुमार कामठान, जिला ग्वालियर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ हैं।

यह कि संचालनालय के असंचारी शाखा के पत्र क्रमांक 862 दिनांक 08.12.2014 के द्वारा आपको राष्ट्रीय केंसर, मधुमेह, हृदयरोग और स्ट्रोक निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के संबंध में नोडल अधिकारी नामांकित कर उनके नाम, पद एवं मोबाईल नम्बर आदि से अवगत कराते हुये दिनांक 16.12.14 को आयोजित बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था।

संचालनालय द्वारा दिये निर्देशों के पालन में आपको द्वारा नोडल अधिकारी को नामांकित कर दिनांक 06.12.14 को बैठक में नहीं भेजा गया और ना ही कोई सूचना लिखित में भेजी गई। आपके द्वारा ऐसे करते हुये वरिष्ठ कार्यालय से जारी निर्देशों की अवहेलना की गई।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में एतद् समझाईश देते हुये निर्देशित किया जाता है कि आप भविष्य के लिये सजग रहकर पूर्ण कर्त्तव्य निष्ठा के साथ आदेशों/निर्देशों का पालन करते हुये कार्य संपादित करें एवं अपने अधीनस्थ अमले को भी इस संबंध में पांबद करें अन्यथा आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

“स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा आदेशित”


16/4/15

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश
.....2.....

पृ.क्र./4/शिका./सेल-7/ग्वालियर/2015/

भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त मध्यप्रदेश स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर जिला, ग्वालियर म0प्र0।
4. संचालक असंचारी शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में उनकी टीप दिनांक 16.12.2014 के संदर्भ में प्रेषित है ।
5. उपसंचालक असंचारी शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
6. उपसंचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल, स्थानीय कार्यालय।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र. की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी पत्र की प्रविष्टी संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की सेवापुस्तिका में दर्ज कर दर्ज प्रविष्टी की छायाप्रति से संचालनालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल,स्थानीय कार्यालय की ओर जारी समझाईश पत्र की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी समझाईश पत्र विभाग की वेब साइट पर अपलोड करावें।
9. आदेश नस्ती ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश